DELHI VIDHAN SABHA BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative and other matters)

Thursday 28th March, 2002/ Chaitra 7, 1924(Saka)

No. 196

ELECTION TO COMMITTEES

The following dates have been fixed for receiving nominations, withdrawal of candidature and for holding election, if necessary, in connection with the Committee on (1)Public Accounts,(2) Estimates Committee and(3) Government Undertakings, the motion in respect of which was adopted by the House on 28.3.2002.

S.N.	Name of Committee	the	No. of Members to be elected	Last date for nominations	Last date for with drawals	Date of election (if necessary.)
1.	Committee Public Accounts	on	07	3.4.2002 upto 4.00 P.M.	5.4.2002 upto 4.00.P.M.	9.4.2002 from 11.00 P.M. Members Lounge Old secretariat, Delhi.
2.	Committee Estimates	on	07	-do-	-do	-do-
3.	Committee Government undertakings	on	07	-do-	-do-	-do-

NOTE: 1. Necessary forms are available with the Notice Branch.

2. No from will be entertained after the stipulated date and time.

S.K. SHARMA SECRETARY

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

28 मार्च,2002/ चैत्र, 7 1924 (शक)

संख्या : 1496

समितियों का निर्वाचन

(i) लोक लेखा समिति (ii) प्राक्कलन समिति एवं (iii) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निर्वाचन हेतु, जिसके बारे में सदन द्वारा 28 मार्च,2002 को प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे, सदस्यों के नामांकन प्राप्त करने, नाम वापिस लेने तथा यदि आवश्यक हुआ तो, चुनाव करने के लिए निम्नलिखित तिथियाँ निश्चित की गई हैं :-

क्रम	सं. समिति का नाम	निर्वाचित	नामांकन	नाम वापस	यदि आवश्यकता
	Programme Commence	होने वाले	की अंतिम	लेने की	हुई तो, चुनाव
* \$44	en toout	सदस्यों की संख्या	4.5	अंतिम तिथि	की तिथि
18	A				
1.	लोक लेखा समिति	- 24	(अप. 4.00	5.4.2002 (зу. 4.00	9.4.2002 (पूर्वा. 11.00 बजे
			बजे तक)	बजे तक)	से 1-00 बजे तक, सदस्य लॉज, पुराना सचिवालय
 3. 	प्राक्कलन समिति सरकारी उपक्रमों	07	- वही -	- वही -	- वही -
	संबंधी समिति	07	- वही -	- वही -	- वही -

टिप्पणी : 1. आवश्यक प्रपत्र (फॉर्म) सूचना कार्यालय में उपलब्ध हैं ।

2. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी प्रपत्र (फॉर्म) को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

एस.के.शर्मा सचिव